

17

दिनांक 31.12.2017 को धारित अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण


1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम – अवनीश चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त, जनजातीय एवं अनु. जाति विकास भोपाल।
2. वर्तमान धारित पद – सहायक आयुक्त (मूलपद जिला संयोजक), प्रथम नियुक्ति पद एवं दिनांक – 14.02.1994, क्षेत्र संयोजक
3. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन – 5500+D.A. वर्तमान पद का कुल वेतन – 90041/--

क्र.	उस जिले/उस सम्भाग तहसील ग्राम का नाम /जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा आवास अन्य भवन प्लॉट एवं कृषि भूमि	सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक एवं उसका उस समय का मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर ना हो तो बतायें कि किसके नाम पर धारित है और उसका गासकीय कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया रसीद कट्टा बंधक विरासत भेंट या किसी प्रकार अर्जित की, के तारीख और उसमें अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोपाल जिला भोपाल	एक मकान 10X40 फीट पर निर्मित जे-24 हर्षवर्धन नगर, भोपाल।	10/1999 रूपये 4,20,000/- संयुक्त रूप से	रूपये 8,00,000/- बाजार मूल्य	सम्पत्ति संयुक्त रूप से स्वयं के नाम पर	क्रय द्वारा अर्जित
2.	भोपाल जिला भोपाल	एक डूप्लेक्स मकान नं. 05 गोल्डन वैली विलाज ग्राम जाटखेड़ी भूखंड क्षेत्र 104.80 वर्गमीटर पर निर्मित	2/2015 रूपये 29.80 लाख	रूपये 30,00,000/- बाजार मूल्य	स्वयं के नाम पर	क्रय द्वारा अर्जित

//2//

क्र.	यदि विरासत नहीं तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्रदान करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं तो उसके लिए लगाये गये वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिसमें नगद ऋण या भेंट ली है उसका पूरा पता दिया जाये।	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार/विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया अनुमति ली गई है	सम्पत्ति से वार्षिक आय
1	8	9	10	11	12
1.	शासन अनुमति आयुक्त अनु. जाति विकास पत्र क्रमांक/स्था./1/99/3358 भोपाल दिनांक 05.10.1999	स्वयं+परिवार के सहयोग से अर्जित आवास ऋण	-	-	निरंक
2.	आयुक्त, महोदय आदिवासी विकास को सूचना पत्र जादक क्रमांक 5102/30.10.2014 से दी गई	आवास ऋण+जी.पी.एफ.+स्वयं की बचत से अर्जित	-	-	रूपये 40,000/-

नोट :- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव नहीं हो तो वहाँ लगाया मूल्य बताया जाये इसमें अल्पकालीन पट्टे शामिल हैं।


 अवनीश चतुर्वेदी
 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय एवं अनु. जाति विकास
 भोपाल